आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद संख्या 27/2018–2019

योगन्द्र साव–वादी

वनाम्

दिल बहादुर पासी वगैरह–प्रतिवादी

वादी के विद्वान अधिवक्ता

(1) श्री विधा सागर सिंह

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता

(1) श्री बिनोद कुमार

09-10-2018

आदेश

उभय पक्ष उपस्थित। यह वाद निम्न जमीन से संबंधित है।

अनुसूची

खाता	प्लॉट	रकवा ए० डी०	चौहद्दी
111	423	0–14 (विवादित रकवा इसमें से $2\frac{1}{2}$ डी०)	उतर–सड़क दक्षिण–राजेश्वर प्रसाद पूरब–देवी स्थान एवं विपक्षी पश्चिम–सड़क

मौजा–पीपरा बंगला, थाना+अंचल+जिला–अरवल।

वादी के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा तथा विवादित जमीन को खरीदगी बताया तथा नापी के उपरान्त दखल की मॉग किया।

प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अपनी उपस्थिति दिल बहादूर पासी, पिता–स्व० रधुनी चौधरी (ओ० पी०–01), मेडिकल पासी (ओ० पी०–02), मिन्टु पासी (ओ० पी०–03), संतोष पासी (ओ० पी०–04), सुधीर पासी (ओ० पी०–05) सभी के पिता दिल बहादुर पासी की ओर से दर्ज किया तथा सूचित किया कि विवादित जमीन के संबंध में उभय पक्षों के बीच समझौता हो गया है।

उभय पक्षों ने समझौता पत्र दिनांक 04.10.2018 को दाखिल किया जिसमें उभय पक्षों के अधिवक्ताओं के द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगणों के हस्ताक्षर/अंगुठा निशान अभिप्रमाणित किया गया है।

अतः समझौता के आधार पर वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है। यह समझौता पत्र आदेश का हिस्सा माना जायेगा परन्तु अगर भविष्य में विवादित जमीन सरकारी साबित होगा तो समझौता अमान्य होगा।

लेखापित एवं संशोधित

09/10/18

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

09/10/18

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।